

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी**  
**(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)**

**पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :- 40/2019 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री जमना लाल पिता ओंकार लाल बर्नाम लोक सूचना अधिकारी एवं  
शर्मा निवासी बिहारी निकुंज रामनगर तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा  
कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005**

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित नहीं  
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

**निर्णय**

दिनांक : 17.06.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बनेडा के विरुद्ध दिनांक 10.05.2019 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं० 40 एफ 931165 राशि 10.00 रु० के साथ एक आवेदन दिनांक 23.03.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बनेडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23.03.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 21.05.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बनेडा के पत्रांक/भू.अ./सूकाअ/2019/481-82 दिनांक 15.04.2019 से अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में सूचना अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



**राजेन्द्र भट्ट**  
(राजेन्द्र भट्ट)  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलट अधिकारी  
भीलवाडा